

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
!! अधिसूचना !!

पटना-15, दिनांक- 6.3.19

ज्ञापांक:-21/त.क.च.आ.-05/2017,सा.प्र. 3031 / "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014"  
की धारा-8 में विहित प्रावधान के आलोक में "सहायक अभियंता" पद को उक्त अधिनियम की अनुसूची से  
विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवनीश कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-21 त.क.च.आ.-05/2017,सा.प्र. 3031 / पटना-15, दिनांक- 6.3.19

प्रतिलिपि, वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया  
जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन  
विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-21 त.क.च.आ.-05/2017,सा.प्र. 3031 / पटना-15, दिनांक- 6.3.19

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना  
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-21/त.क.च.आ.-05/2017,सा.प्र. 3031 / पटना-15, दिनांक- 6.3.19

प्रतिलिपि, राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सचिव,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।